रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2000/पौष 15, 1921
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2000/PAUSA 15, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में उपनियम (क) के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) कोई व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कक) कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का हो और जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कख) कोई महिला जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रही हो, या"

[फा. सं.-5(485)/99-एन. सी.]

कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2000

G.S.R. 17(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely —

(i) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2000.

(ii) This shall come into force from the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, in rule 3, sub-rule (a), the following shall be substituted, namely .—

"(a) a person had been practising at least for ten years, or

(aa) a person belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes had been practising at least for seven years, or

(ab) a woman who had been practising at least for seven years,

as a legal pactitioner, or"

[No. 5(485)/99-NC]

KRISHNA KUMAR, Jt Secy & Legal Adviser

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054